

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-20/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रु० 4,68,00,000/- (रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-10(1), दिनांक-08.01.2021, विभागीय पत्रांक-03(1), दिनांक-03.01.2022, संकल्प संख्या-776(1), दिनांक-29.11.2023, संकल्प संख्या-472(1), दिनांक-05.07.2023, संकल्प संख्या-125(1), दिनांक-20.02.2014 एवं संकल्प संख्या-776(1), दिनांक-29.11.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रु० 4,68,00,000/- (रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0023-राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया विपत्र कोड-20-2210-05-105-0023 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/MCH-35-23/2026-27 के पृष्ठ-08/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

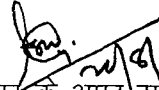
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव
Afp

आपाक:- 7/MCH-35-23/2026-27- 343 (7B) /स्वा0, पटना, दिनाक:- 20/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेतिया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
Aup